शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

विद्यालय प्रबन्धन समिति
प्रशिक्षण संदर्शिका
सह–पठन सामग्री

State Project Director, Sarva Shiksha Abhiyan UT Chandigarh
Additional Deluxe Building,, 3rd Floor, , Sector-9D
Phone-0172-5067073-80, Email id: ssautchd@yahoo.co.in
Website: ssachd.nic.in

RIGHT TO EDUCATION

विद्यालय प्रबन्धन समिति प्रशिक्षण संदर्शिका सह–पठन सामग्री

अनुक्रमणिका

1. सर्वशिक्षा अभियान क्या है?
2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मुख्य प्रावधान
3. सरकार, स्थानीय अधिकारी एवं अभिभावकों के दायित्त्व
4. सरकार के दायित्त्व
5. स्थानीय सरकार एवं अधिकारियों के दायित्त्व
6. अध्यापक एवं विद्यालय की जिम्मेवारियाँ
7. अभिभावकों व संरक्षकों के दायित्त्व
8. विद्यालय प्रबन्धन समिति (परिचय)
9. विद्यालय प्रबन्धन समितियों की आवश्यकता
10. विद्यालय प्रबन्धन समितियों के मुख्य उद्देश्य तथा उत्तरदायित्व
11. शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन
12. शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत कुछ प्रमुख आर्थिक मापदण्ड
13. सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत मिले अनुदान का उपयोग और निरीक्षण सम्बन्धी कार्य
14. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा
15. विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों हेतु चण्डीगढ़ प्रशासन के विशेष कार्यक्रम

1. सर्वशिक्षा अभियान क्या है?

1. प्राथमिक शिक्षा की सर्व व्यापकता का कार्यक्रम।
2. प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापक प्रसार एवं प्रचार के लिए समयबद्ध योजना।
3. सम्पूर्ण देश में मूलभूत शिक्षा की गुणवत्ता की माँग के प्रति अनुक्रिया।
4. आधारभूत शिक्षा द्वारा सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने का सुअवसर।
5. पंचायती राज संस्थानों, स्कूल प्रबन्धन समितियों, अभिभावक शिक्षक संघ, आदिवासी स्वायत्त परिषदों ग्रामीण एवं शहरी स्तर की शिक्षा समितियों तथा अन्य उपयोगी संस्थाओं की प्रभावशाली भूमिका हेतु प्रयास।
6. संम्पूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए (U.E.E.) राजनीतिक इच्छा की अभिरूचि।
7. केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार की पारस्परिक भागीदारी।
8. प्राथमिक शिक्षा के प्रति राज्यों को अपना दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर प्रदान करना।

2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मुख्य प्रावधान

- 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
- कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार का शुल्क या प्रभार अदा करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उसकी प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्ति में किसी प्रकार की फीस बाधक नहीं होगी।
- यदि किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ से अन्य विद्यालय में स्थानान्तरण पाने का अधिकार प्रत्येक बच्चे को होगा।
- प्रारम्भिक शिक्षा के लिए प्रविष्ट किए गए किसी भी बच्चे को 14 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् भी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है।
- 6 वर्ष से अधिक आयु के सभी बच्चे जिनका किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं हो पाया है, या किसी कारण वे प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाए हैं, उन्हें अपनी आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे बच्चों को उनकी आयु के अनुसार दूसरे बच्चों के बराबर आने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- विद्यालय में प्रविष्ट बालक को किसी भी कक्षा में न तो रोका जाएगा और न ही प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने तक निष्कासित किया जाएगा।
- बच्चे को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से मुक्त, भयमुक्त वातावरण में शिक्षा पाने का अधिकार होगा।
- निजी व विशेष श्रेणी (वर्ग) वाले विद्यालयों को भी अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए पहली कक्षा की कुल सीटों की 25 % सीटें आरक्षित रखनी होंगी।
- विद्यालय के पूर्ण शैक्षिक सत्र तक बच्चे को प्रवेश लेने का अधिकार होगा। बच्चों के हित में सामाजिक व सांस्कृतिक अवरोधों को आड़े नहीं आने दिया जाएगा।

- बिना मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जा सकेगा।
- विद्यालयों द्वारा कैपिटेशन फीस लिए जाने तथा स्क्रीनिंग प्रणाली अपनाने पर प्रतिबन्ध है। कैपिटेशन फीस लिए जाने पर ली गई फीस का 10 गुना तक अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान है तथा स्क्रीनिंग प्रणाली अपनाने पर पहली बार 25 हजार रूपए एवं इसके उपरान्त प्रत्येक बार उल्लंघन पर 50 हजार रूपए दण्ड देना होगा।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने तक बच्चों की बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी।
- प्रत्येक अभिभावक एवं संरक्षक का कर्त्तव्य होगा कि वे अपने आस पास के विद्यालय में अपने बच्चे का अनिवार्य रूप से प्रवेश कराएं।
- बच्चा अपने राज्य में या राज्य से बाहर जहाँ भी स्कूल बदलना चाहता है, उसे ऐसा करने का अधिकार है, जिससे वह अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कर सके।
- स्कूल प्रबन्धन का कर्त्तव्य है कि वह दूसरे स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चे को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र यथा शीघ्र दे दे। किसी भी कारण से देरी होने पर दूसरा स्कूल बच्चे को प्रवेश से मना नहीं करेगा।
- स्थानान्तरण प्रमाण पत्र देरी से जारी करने वाले स्कूल प्रमुख के विरूद्ध उसके सेवा नियमों के अनुसार प्रशासनिक, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

3. सरकार, स्थानीय अधिकारी एवं अभिभावकों के दायित्त्व

1. शिक्षा का अधिकार कानून के अन्तर्गत बच्चे के लिए उस क्षेत्र में या उसके पड़ोस की हद में इस कानून के लागू होने के बाद तीन वर्ष के भीतर सरकार और स्थानीय अधिकारी स्कूल खोलने के लिए जिम्मेवार हैं।
2. केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें इस कानून को लागू करने के लिए धन देंगी। यह दोनों सरकारों की जिम्मेवारी होगी।
3. केन्द्र सरकार मुख्य रूप से और बीच बीच में होने वाले खर्च का मसौदा इस कानून को लागू करने के लिए तैयार करेगी।
4. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार को सहायता के रूप में अपने प्राप्त धन में से राज्य सरकार से मंत्रणा करके उपयुक्त हिस्सा देगी।
5. केन्द्र सरकार धारा 280 के अनुसार विशेष सहायता के लिए इस कानून को लागू करने के लिए राष्ट्रपति को प्रार्थना करेगी।
6. उपधारा (तीन) के अनुसार राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट इस कानून को लागू करने के लिए जिम्मेवार होगी।

4. सरकार के दायित्त्व

1. 6–14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करे।
2. 6–14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे के दाखिले, हाजिरी और प्रारम्भिक शिक्षा की पूर्णता को यकीनी बनाए।
3. यह देखा जाए कि कमजोर वर्ग के विद्यार्थी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने में किसी प्रकार के मतभेद का शिकार न हों।
4. 3–6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए पूर्व प्रारम्भिक स्कूल में मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेवारी सरकार की है।
5. अध्यापक, भवन और शिक्षण सामग्री का प्रबंध करे।
6. सैक्शन 4 में दिये प्रावधान के अनुसार विशेष प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करे।
7. अनुसूची में दर्शायी प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता, स्तर एवं नियमों को बनाये रखे।
8. समय समय पर प्रारम्भिक शिक्षा के वर्णित पाठ्यक्रम और पढाई के कोर्स को पूरा करने और ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करे।

5. स्थानीय सरकार एवम् अधिकारियों के दायित्त्व

1. 6–14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करे।
2. सैक्शन (6) के आधार पर (पड़ौसी) समीप में ही स्कूलों का प्रबंध करे।
3. यह सुनिश्चित करे कि कमजोर या असहाय वर्ग के बच्चों के साथ प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने में भेदभाव न हो।
4. अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले 14 वर्ष तक के बच्चों का रिकार्ड तैयार करे।
5. अपने अधिकार क्षेत्र में 14 वर्ष तक के बच्चों के दाखिले, हाजिरी और प्रारम्भिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करे।
6. भवन, कर्मचारी और (सिखाने की) शिक्षण सामग्री का प्रबंध करे।
7. सबंधित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर, नियमों और गुणवत्ता को बनाए रखे।
8. अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि प्रवासी परिवारों के बच्चों को स्कूल में दाखिला मिल गया है।
9. अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों के कार्य कलाप से सम्बन्धित बैठकों की अध्यक्षता करना और अकादमिक कलैंडर निर्माण का निर्णय लेना।

6. अध्यापक एवं विद्यालय की जिम्मेवारियाँ

1. स्कूल में दाखिल सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा दी जाएगी।
2. शिक्षा का अधिकार कानून के अन्तर्गत किसी कक्षा के कुल विद्यार्थियों में से 25 % विद्यार्थी कमजोर वर्ग, असहाय वर्ग के अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा के लिए स्कूलों में दाखिल किए जाएंगे। इन विद्यार्थियों पर जो खर्च होता है उस की (वापिसी) अदायगी राज्य सरकार की जिम्मेवारी है।
3. प्रत्येक स्कूल को स्थानीय सरकारी अधिकारी और सरकार को जो सूचनाएं चाहिएं देनी होंगी।
4. स्कूल में दाखिल बच्चे से कोई व्यक्ति या स्कूल कैपिटेशन फीस नहीं लेगा और बच्चे या अभिभावकों को बच्चे के दाखिले के लिए किसी परीक्षण में से नहीं गुजरना पड़ेगा। कैपिटेशन फीस लेने वाले को इसके 10 गुणा सजा के रूप में और (परीक्षण) स्क्रीनिंग प्रक्रिया रखने वाले स्कूल को पहली बार 25 हजार और दूसरी बार की गई गलती पर 50 हजार जुर्माने का सब सैक्शन (1) में प्रावधान है।
5. किसी बच्चे को आयु प्रमाण पत्र के न होने पर दाखिले से मना नहीं किया जा सकता। बच्चे को निश्चित समय के भीतर या बढाये समय के बीच दाखिल करना होगा।
6. दाखिल बच्चा न पिछली कक्षा में किया जा सकता है और न ही प्रारम्भिक शिक्षा पूरी किये बिना स्कूल से निकाला जा सकता है।
7. किसी बच्चे को स्कूल में शारीरिक दण्ड या मानसिक परेशानी नहीं दी जा सकती। ऐसा करने पर दोषी पर सेवा नियामावली के अनुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

7. अभिभावकों व संरक्षकों के दायित्त्व

प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्ति हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 से पारित हो गया है जिसने सभी बच्चों को विद्यालय में शत प्रतिशत नामांकन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार दिया है।

इस में प्रत्येक अभिभावक और संरक्षक का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने बच्चे को अपने घर के आसपास या पड़ोस में पड़ते स्कूल में प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्ति हेतु अवश्य दाखिल करवाये। समुदाय के अधिकांश लोगों का मानना है कि शिक्षा उपलब्ध कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की है जब कि यह समुदाय और सरकार की सांझी जिम्मेदारी है।

8. विद्यालय प्रबन्धन समिति (परिचय)

समाज तथा शिक्षा का आपस में गहरा सबंध है। सामाजिक विकास एवं आधुनिकीकरण में शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। शैक्षणिक परिदृश्य को सुधारने हेतु समुदाय की भागीदारी की अनिवार्यता को समझते हुए चुने हुए प्रतिनिधियों व अभिभावकों की सीधी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर प्रयास हुए हैं। इन प्रयासों की मूल भावना यह थी कि समाज में सभी व्यक्ति बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में आगे आएं।

माता पिता व अभिभावक अपने बच्चों को समुचित सुविधा एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा सकें, इसके लिए आवश्यक है कि माता पिता/अभिभावक विद्यालय प्रबन्धन समिति के विषय में कुछ समझें, कुछ जानें। केन्द्र शासित–प्रदेश चण्डीगढ़ के सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) एवं माध्यमिक (कक्षा 6 से 8) विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल–शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। विधेयक की धारा 21 की मंशा के अनुसार अब चण्डीगढ़ में विद्यालय विकास एवं संचालन हेतु विद्यालय के विकास से सम्बन्धित सभी निर्णय गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा लिए ला रहे हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। अतः निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल–शिक्षा अधिकार अधिनियम में कक्षा एक से कक्षा आठ तक की शिक्षा के विकास के लिए सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय प्रबंधन समिति को सौंपी गई है । ताकि प्रत्येक विद्यालय स्तर पर वहाँ के अभिभावक विद्यालय के लिए योजना स्वयं बना सकें व शिक्षा के महत्त्व को समझें।

इस अधिनियम की अवधारणा का मूल है कि समुदाय के जागरूक रहने पर ही कोई पद्धति ठीक ढंग से लागू की जा सकती है। अतः विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय स्तर पर शिक्षा का अधिकार (RTE) को लागू करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगी।

9. विद्यालय प्रबन्धन समितियों की आवश्यकता

कोई भी लोक कल्याण कार्यक्रम जन साधारण की भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। अतः चण्डीगढ़ में सर्वशिक्षा अभियान के तहत क्षेत्र के प्रत्येक शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के कोने–कोने तक सब पढ़ें, सब बढ़ें – आन्दोलन को घर–घर पहुँचाने के लिए विद्यालय प्रबन्धन समितियाँ बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। जिसके माध्यम से प्रत्येक भावी नागरिक की शिक्षा में भागीदारी व शिक्षकों के कार्य निष्पादन में सहयोग, व्यवस्था पर नजर रखने तथा परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा योजना तैयार करने में (इन समितियों की) अहम् भूमिका होती है। इन समितियों का गठन इसलिए भी आवश्यक हो गया है ताकि शिक्षा से वंचित वर्गों में शिक्षा के प्रति ललक व सकारात्मक सोच पैदा की जा सके।

10. विद्यालय प्रबन्धन समितियों के मुख्य उद्देश्य तथा उत्तरदायित्व

इन समितियों के द्वारा बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 21 के अनुसार निम्नलिखित कार्यों में सहयोग देना होता है।

1. विद्यालय विकास योजना तैयार करना तथा इसको पूर्णतया लागू करने में सहयोग देना।
2. शिक्षा के अधिकार के प्रति जनमानस को जागरूक करना
3. विद्यालय, शिक्षा विभाग एवं समुदाय के बीच सेतु का कार्य करना।
4. सरकार एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान एवं अन्य सुविधाओं के समुचित उपयोग हेतु निगरानी में सहयोग देना।
5. शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन, ठहराव एवं शैक्षिक उपलब्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
6. किन्हीं भी कारणों से बीच में पढ़ाई छोड़ने को रोकने हेतु अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कदम उठाना।
7. विद्यालय प्रबंधन में शिक्षक तथा अभिभावकों को सहयोग प्रदान करना।
8. प्रतिमाह होने वाली सभाओं में (अवश्य) भाग लेकर समस्याओं पर चिंतन कर निराकरण करना एवं विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि स्तर में सुधार हेतु सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना।
9. अध्यापकों को अध्यापन सामग्री के निर्माण एवं छात्रों में कौशल विकास हेतु स्वैच्छिक रूप से सहयोग प्रदान करना।

10. मध्याह्न भोजन (MIDDAY MEAL) योजना के अंतर्गत प्राप्त भोजन की गुणवत्ता को बच्चों से बातचीत के माध्यम से जाँचना।
11. बाल-मजदूरी में लिप्त बच्चों का मार्गदर्शन कर निकटतम विद्यालयों में नामांकन करवाना तथा निरंतर शिक्षा जारी रखने में सहयोग करना।
12. भीख माँगने वाले बच्चों का मार्गदर्शन करके विद्यालयों में नामांकन कराना तथा ठहराव में सहयोग देना।
13. विशेष आवश्यकता वाले (निःशक्त) बच्चों के लिए समावेशित शिक्षा की व्यवस्था में सहयोग करना।
14. विद्यालय में भवन निर्माण, मरम्मत कार्य व अन्य निर्माण कार्यों की देख रेख में भागीदारी निभाना।
15. विद्यालयों में सही समय पर वर्दियों तथा पुस्तकों को उपलब्ध कराने हेतु विद्यालयों को सहयोग प्रदान करना।
16. सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षकों तथा समुदाय को सहयोग प्रदान करना।
17. विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों की उपस्थितियाँ जाँचना।
18. किसी भी स्थिति में शिक्षा के अधिकार की अनुपालना नहीं होने पर विद्यालय प्रशासन के माध्यम से शिक्षा विभाग को अवगत कराना।
19. निःशक्त बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं की जाँच करना।
20. विद्यालयों में शिक्षा सुधार हेतु स्वास्थ्य सेवकों/सेविकाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों (NGO) तथा शिक्षक अभिभावक संघों (PTA) के सदस्यों का सहयोग लेना।
21. विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (Special Training Centre) में पढ़ने वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास का निरीक्षण करना।
22. सभी शिक्षक सही समय पर विद्यालय में पहुचें, पूर्ण समय विद्यालय में रहें तथा विद्यालय की समय सारणी के अनुसार अपनी–अपनी कक्षाओं को पढ़ाएं इसको भी मॉनीटर करना है।

23. विद्यालय के आस–पास रहने वाले लोगों को बाल अधिकारों की सामान्य जानकारी देना तथा विद्यालय, माता पिता व संरक्षकों को उनके कर्त्तव्यों की जानकारी देना।
24. विद्यालय में खेल का मैदान, चारदीवारी, साफ सफाई, कक्षा कक्ष, फर्नीचर, पीने के पानी तथा शौचालय आदि की व्यवस्था करने में सहयोग देना।
25. समय समय पर विद्यालय के बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच करवाना।
26. अगर विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों में से रिक्त पद हैं तो अध्यापकों की नियुक्ति हेतु शिक्षा विभाग को सिफारिश करना।
27. विद्यालय के अनुशासन से सबंधित मामले (SMC) द्वारा ही विद्यालय स्तर पर निपटाना। निपटारा न होने पर शिक्षा विभाग को सिफारिश करना।
28. विद्यालय विकास हेतु योजना तैयार करना।
29. शिक्षा के अधिकार से सबंधित जागरूकता अभियान–जैसे रैली, नुक्कड़ नाटक, प्रतियोगिताएँ आदि करवाने में सहयोग करना।
30. शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर अन्य प्रदत्त कार्यों के निष्पादन में सहयोग देना।

11. शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुच्छेद 2 (द)(IV) में उल्लिखित विद्यालयों का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए और शिक्षा के प्रसार को घर घर तक पहुँचाने के ग्राम समितियाँ/कलस्टर का प्रावधान दिया गया है। जिस के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को स्कूल में शिक्षा प्रबंधन में योगदान व शिक्षकों को उन के कार्यों में भागीदारी तथा स्कूल के अन्य कार्यों में सहयोग मिलेगा।

सर्वशिक्षा अभियान चण्डीगढ़ द्वारा दो प्रकार की समितियों का गठन किया गया है।

1. चण्डीगढ़ संकुल (Cluster) समितियाँ
2. चण्डीगढ़ ग्रामीण शिक्षा समितियाँ

इन में से न्यूनतम तीन चौथाई सदस्य माता पिता या सरक्षकों में से होंगे तथा बाकी सदस्य पदेन/मनोनीत व्यक्ति होंगे। कार्यकारिणी के सदस्यों में 50% महिलाएँ अवश्य होंगी।

सर्व शिक्षा अभियान चण्डीगढ़ में वार्डों के अनुसार 20 संकुल (Cluster) हैं जिसमें एक क्लस्टर हैड होता है जिस के पास विभागीय ग्रांट्स आती हैं और वह उन्हें साथ जुड़े स्कूलों तक पहुँचाता है। यहीं पर समिति के सदस्यों की ट्रेनिंग भी होती है।

1. एस.एम.सी. की संरचना संकुल (Cluster) स्तरीय

क्रमांक	पद	चयन प्रक्रिया
1.	अध्यक्ष	1. समिति की आम सभा द्वारा माता पिता या संरक्षकों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव। 2. कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा अपने में से अध्यक्ष का चुनाव।
2.	उपाध्यक्ष	1. समिति की आम सभा द्वारा माता पिता या संरक्षकों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव। 2. कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा अपने में से अध्यक्ष का चुनाव।
3.	सदस्य (9)	आम सभा द्वारा माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित सदस्य जिनमें कम से कम 50% महिलाएँ होंगी एवं दो अनुसूचित जाति, एक पिछड़ी जाति के सदस्य होंगे। यदि स्कूल में C.W.S.N बच्चा है तो उसके माता पिता को भी लिया जाना अनिवार्य है।
4.	पदेन सदस्य (1)	नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों में से नगर पालिका द्वारा मनोनीत एक सदस्य
5.	पदेन सदस्य सचिव(1)	विद्यालय मुखिया
6.	पदेन अध्यापक	विद्यालय के अध्यापकों द्वारा समिति हेतु मनोनीत/निर्वाचित एक महिला/पुरूष अध्यापक
7.	मनोनीत शिक्षा–शास्त्री (पदेन)	समिति के माता पिता या संरक्षक सदस्यों द्वारा निर्वाचित स्थानीय शिक्षा शास्त्री। इसके इलावा गणमान्य व्यक्ति, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति या गैर सरकारी संस्था जो शिक्षा के उत्थान के लिए कार्य कर रही हो, को शामिल किया जा सकता है।

नोटः विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 1000 से कम होने पर 12 सदस्य व संख्या 1000 से अधिक होने पर 24 सदस्य नियुक्त किये जायेंगे।

2. एस.एम.सी. की संरचना ग्रामस्तरीय

1.	अध्यक्ष	–	ग्राम पँचायत के सरपंच
2.	सदस्य सचिव	–	ग्राम के स्कूल के प्रमुख
3.	सदस्य	–	ग्राम के प्रत्येक अन्य स्कूल से एक अध्यापक
4.	सदस्य	–	भूतपूर्व सैनिक
5.	सदस्य	–	ग्राम पँचायत द्वारा मनोनीत एक महिला एवं एक पुरूष सदस्य
6.	सदस्य	–	ग्राम की आंगन बाड़ी स्कूल से एक सदस्य
7.	सदस्य	–	अभिभावक एवं संरक्षकों में से दो पुरूष और दो महिला सदस्य

विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का गठन

1. प्रत्येक विद्यालय का प्रमुख स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करेगा।
प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एस.एम.सी का गठन किया जाएगा। एक ही परिसर में उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होने पर अलग अलग प्रबंधन समितियों का गठन होगा। यह प्रबंधन समिति उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विषयों पर विचार करेगी। कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं के लिए अलग से स्कूल प्रबंधन एवं विकास समिति का गठन किया जाएगा।

2. समिति की बैठक प्रतिमास आयोजित की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर समिति की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। विद्यालय में मनाए जाने वाले समारोहों में सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
3. स्कूल प्रबंधन समिति का गठन दो वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है।

12. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अर्न्तगत कुछ प्रमुख आर्थिक (मापदण्ड): प्रोत्साहन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE) एवं प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (UEE) के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक व सामाजिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अर्न्तगत चण्डीगढ़ संघीय क्षेत्र में निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैः–

1. प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी बच्चे को कोई फीस नहीं देनी होगी। उसे कोई परीक्षा भी इसके लिए नहीं देनी होगी।
2. कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को पुस्तकें, कापियाँ तथा स्कूल की वर्दी मुफ्त दी जाती है।
3. प्रत्येक स्कूल को प्राथमिक स्तर पर 5000/– तथा माध्यमिक स्तर पर 7000/– रूपये का अनुदान दिया जाता है। इस राशी को समिति की भागीदारी से विद्यालय के विकास के लिए प्रयोग किया जाता है।
4. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रतिवर्ष शिक्षा भत्ते तथा यात्रा भत्ते के तौर पर 2500/– रूपए प्रदान किए जाते हैं।
5. मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को प्रतिदिन ताजा व पौष्टिक आहार (दाल चावल, सब्जी चपाती) प्रदान किया जाता है।
6. स्वास्थ्य परीक्षण करवा कर प्रति वर्ष बच्चों का चिकित्सा कार्ड बनाया जाता है। उन्हें आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय परामर्श भी दिया जाता है।
7. सभी स्कूलों में विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन राशी/छात्रवृत्तियों का प्रावधान है।
8. सेवारत अध्यापकों के शैक्षणिक उत्थान व गुणात्मक सुधार के लिए समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

9. किन्हीं कारणों से शिक्षा से वंचित वर्ग के बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चण्डीगढ़ संघीय क्षेत्र में 65 स्कूलों में 190 विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (STC) स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों में निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं :–

1. स्टेशनरी (पठन सामग्री) अनुदान
2. उपस्थिति के लिए प्रोत्साहन राशी हर माह प्रदान की जाती है।
3. पर्यटन हेतु अनुदान
4. सह–पाठ्यान्तर क्रियाओं हेतु अनुदान
5. विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों के साथ अन्तः क्रिया कराने हेतु मीटिंग आयोजन हेतु अनुदान।

10. किशोरावस्था प्राप्त बालिकाओं को जागरूक करने के लिए अनुदान

13. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मिले अनुदान का प्रयोग और निरीक्षण सम्बन्धी कार्य

1. शिक्षा अनुदेशकों एवं स्वयं सेवकों की नियुक्ति तथा मानदेय की अदायगी सुनिश्चित करना।
2. अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मिलने वाली सहायता का ध्यान रखना तथा उसे नियत समय पर बँटवाने में सहयोग करना।
3. स्कूलों तथा अध्यापकों को मिलने वाले वार्षिक अनुदान के उपयोग का ध्यान रखना।
4. अनुदान राशि का उपयोग समिति की बैठक में निर्णय लिए जाने के पश्चात् किया जाना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान देना ताकि कोई भी व्यक्ति उपलब्ध धन का दुरूपयोग न कर सके।
5. अनुदान राशि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।
6. प्रत्येक खर्चे के पूरे विवरण के लिए खाता तैयार किया जाना चाहिए ताकि पूरा रिकार्ड रखा जा सके।

14. (C.W.S.N): विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा

डाक्टरी जाँच पड़ताल के पश्चात् पहचाने गए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों व अन्य जरूरतमन्द बच्चों को विशेष सहायता तथा उपकरण निःशुल्क दिए जाते हैं। जैसे नजर के चश्में (ऐनक), कानों के लिए सुनने के उपकरण, कृत्रिम अंग, पहिया कुर्सी आदि उपकरण। ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों की धारा से जोड़ने के कार्य में स्कूल प्रबंधन समितियों की बड़ी अहम भूमिका हो सकती है।

एस.आर.पी (SRP)

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए चण्डीगढ़ प्रशासन के अन्तर्गत पाँच स्कूलों में सात स्कूल रेडिनैस प्रोग्राम केन्द्र कार्यरत हैं। जहाँ इन विशेष बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कार्यक्रम निर्धारण द्वारा बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का उपक्रम किया जाता है।

एच.बी.ई (HBE)

विशेष आवश्यकता वाले वे बच्चे जो एकाधिक (अपंगता) निःशक्तता से ग्रस्त हैं तथा नियमित तौर पर स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकते, उन्हें घर पर शिक्षित करने तथा आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु विशेष प्रशिक्षित अध्यापक कार्यरत हैं। ऐसे बच्चों को भी शिक्षा की धारा से जोड़ने का नियमित प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है।